

—भाषण में हाजिर हुये एवं उपरोक्त  
कार्यवाही करित लेने का निवेदन किया गया।  
—भाषण में एक अवसर लिया जाया है। पत्रावली  
आपत्ता (दिनांक 08/07/2024 को पेश है)।  
Raymond

30/7  
324. पत्रावली पेश हुई। वकील अभ्यपक्ष उपा  
अभ्यपक्ष द्वारा पत्रावली में पूर्व में जारी  
अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस की गयी। वक्त  
पूरी गयी वक्त पर मनन किया गया। वकील  
उपा ने बहस करते हुए अस्थायी निषेधाज्ञा  
को गैरसला कथन करते हुए का निवेदन  
किया जबकी वकील क्षपा ने जवाब उपा को  
पत्र के कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया  
कि क्षपा वादगत भूमि का जाते हुए  
कार्रकार होने के कारण अस्थायी निषेधाज्ञा  
से पावत किया जाना सामोच्चि नहीं है।  
अभ्यपक्ष की वक्त होने के उपरान्त पत्रावली में  
जारी अस्थायी निषेधाज्ञा को जाति किया  
जाता है पत्रावली फेंकल हुआ है एव  
काम काबिल रफ्तार है।

Raymond  
उपखण्ड अधिकारी  
लुणकरणसर

